

अयस्कों के अवैध खनन से संबंधित मुद्दे

प्रलिस के लयः

अवैध खनन, आईबीएम, कोयला, पेट्रोलयलम, परमाणु खनजल, मानवाधकलर उल्लंघन, राष्ट्रलय खनजल नीतल, पीएमकेकेवाई ।

मेन्स के लयः

अवैध खनन के मुद्दे और इससे नपलटने के तरलके ।

चरुा में कयों?

हाल ही में भारतीय खान ब्यूरो (Indian Bureau of Mines- IBM) ने ओडशल में मैगनीज़ के अवैध खनन और परवलहन में बड़े पैमाने पर भ्रुष्टाचार को चहलनतल कयल है ।

- IBM, खान मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक सरकारी संगठन है, जो कोयला, पेट्रोलयलम और प्राकृतकल गैस, परमाणु खनजल तथा लघु खनजल के अलावा खानों के संरक्षण, खनजल संसाधनों के वैजुनकल वकलस और पर्यावरण की सुरकुषा को बढ़ावा देने में लगा हुआ है ।

IBM की चतलएँ:

- ओडशल भारत का एक खनजल समृद्ध राज्य है जहाँ देश का 96.12% क्रोम अयस्क, 51.15% बॉक्साइट रज़लरव, 33.61% हेमेटाइट लौह अयस्क और 43.64% मैगनीज़ है ।
- ओडशल में खनन पट्टाधारकों द्वारा अपनी खदानों से मैगनीज़ अयस्क को नमलन श्रेणी के रूप में पश्चमल बंगाल के व्यापारलयों को भेजा जा रहा था , जसल वे बाद में बनल कसलल परसंसकरण के उच्च श्रेणी के रूप में बेचते थे ।
- ओडशल में कुछ खनन कंपनलयों खनन और परवलहन कयल गए खनजल की मात्रा को कम दरुाने में शामिल हैं, साथ ही वे उचलतलॉयल्टी और करों का भुगतान नहीं कर रही हैं ।
 - ऐसे मुद्दों के पर्यावरण, अरुथव्यवस्था और उन लोगों की आजीवकल के लयल गंभीर परणलम हो सकते हैं जो अपने भरण-पोषण हेतु प्राकृतकल संसाधनों पर नरुभर हैं ।
- मैगनीज़ अयस्क ग्रेड में कमी का मुद्दा महत्त्वपूर्ण है कयोंकल यह अयस्क की गुणवत्ता और मूल्य को प्रभावतल कर सकता है, जसलके परणलमस्वरूप राज्य सरकार को राजसव का नुकसान हो सकता है ।
- राज्य सरकार ने खनजल के अवैध खनन और परवलहन में शामिल कंपनलयों के खललफ कार्रवाई करने तथा खनन कानूनों और वनलयलमों को सखती से लागू करने का आह्वान कयल ।
 - खान और खनजल (वकलस और वनलयलमन) (MMDR) अधनलयलम की धारा 23C के अनुसार , राज्य सरकारों को खनजल के अवैध खनन, परवलहन और भंडारण को रोकने के लयल नलयल बनाने का अधकलर है ।

अवैध खनन कयल है?

- वषलयः
 - अवैध खनन भूमलयल जल नकलयों से आवश्यक परमटल, लाइसेंस या सरकारी प्राधकलरणों से नलयलमक अनुमोदन के बनल खनजल, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का नषकलरण है ।
 - इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरकुषा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है ।
- समस्यलएँ:
 - पर्यावरण का कषरण:
 - यह वनों की कटाई, मटलटी के कटाव और जल प्रदूषण का कारण बन सकता है तथा इसके परणलमस्वरूप न्यजीवों के आवासों का वनलश हो सकता है, जसलके गंभीर पारसुथतलकल परणलम हो सकते हैं ।
 - खतरा:

- अवैध खनन में अकसर पारा और साइनाइड जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग शामिल होता है, जो खनिकों और आस-पास के समुदायों के लिये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।
- राजस्व की हानि:
 - इससे सरकारों को राजस्व का नुकसान हो सकता है क्योंकि खनिक उचित करों और रॉयल्टी का भुगतान नहीं कर सकते हैं।
 - इसके महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं, विशेषकर उन देशों में जहाँ प्राकृतिक संसाधन राजस्व का एक प्रमुख स्रोत हैं।
- मानव अधिकारों के उल्लंघन:
 - अवैध खनन के परिणामस्वरूप **मानव अधिकारों का उल्लंघन** भी हो सकता है, जिसमें बलात् श्रम, बाल श्रम और कमजोर आबादी का शोषण शामिल है।


भारत में खनन से संबंधित कानून:

- भारत के संविधान की सूची II (राज्य सूची) की क्रम संख्या 23 की प्रविष्टि राज्य सरकार को अपनी सीमाओं के अंदर स्थित खननियों के स्वामित्व के लिये बाध्य करती है।
- सूची I (केंद्रीय सूची) की क्रम संख्या 54 पर प्रविष्टि केंद्र सरकार को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अंदर खननियों के मालिक होने का अधिकार देती है।
 - इसके अनुसरण में खान और खनजि (विकास और वनियमन) (MMDR) अधिनियम 1957 बनाया गया था।
- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) खनजि अन्वेषण और नष्टिकर्षण को न्यंत्रित करती है। यह संधिसंयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्देशित है तथा संधिका एक पक्षकार होने के नाते भारत को मध्य हृदि महासागर बेसिन में 75000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बहुधात्विक पड्डों का पता लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

भारत में खनन क्षेत्र परदृश्य:

- परचिय:
 - भारत में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, मैंगनीज़, ताँबा, सोना, जस्ता, सीसा और अन्य खननियों के बड़े भंडार के साथ एकसमृद्ध खनजि संसाधन आधार है।
 - भारतीय अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है, यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% है और लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।
- आँकड़े:
 - वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में 8.55% की वृद्धि के साथ कोयले का उत्पादन 777.31 मिलियन टन (MT) रहा।
 - वर्ष 2021 तक के प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है।
 - वित्त वर्ष 2022 में भारत में 190,392 करोड़ (24.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रुपए का खनजि उत्पादन होने का अनुमान है।
 - लौह अयस्क उत्पादन के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। वित्त वर्ष 2021 में कुल लौह अयस्क का उत्पादन 204.48 मीट्रिक टन रहा।
 - वित्त वर्ष 21 में भारत में एल्यूमीनियम का संयुक्त उत्पादन (प्राथमिक और माध्यमिक) 4.1 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष था, जिससे यह एल्यूमीनियम का विश्व का दूसरा उत्पादक बन गया।

Production of metallic and non-metallic minerals (US\$ billion)



मैंगनीज़:

- यह एक ठोस, स्लेटी रंग की धातु है जो आमतौर पर पृथ्वी की भू-पपड़ी में पाई जाती है और इसमें सबसे प्रचुर मात्रा पाया जाने वाला बारहवाँ तत्व है।
- मैंगनीज़ मनुष्य, पशुओं और पौधों के लिये एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल एवं अमीनो एसिड के चयापचय के लिये आवश्यक है।
- मैंगनीज़ का उपयोग विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें इस्पात, एल्यूमीनियम मशिन धातु और बैटरी का उत्पादन शामिल है।
- मैंगनीज़ लौह अयस्क को गलाने के लिये एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग फेरो मशिन धातुओं के निर्माण के लिये भी किया जाता है। लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में मैंगनीज़ के निक्षेप पाए जाते हैं। **हालाँकि यह मुख्य रूप से धारवाड प्रणाली से जुड़ा है।**
- ओडिशा मैंगनीज़ का प्रमुख उत्पादक है। ओडिशा में प्रमुख खानें भारत के लौह अयस्क बेल्ट के मध्य भाग में स्थित हैं **हैमिशेष रूप से बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलांगीर में।**

अवैध खनन के मुद्दों से निपटने के उपाय:

- **कानूनी और नियामक ढाँचा:**
 - अवैध खनन को रोकने में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये खनन से संबंधित अधिक विधिक एवं नियामक ढाँचे को मज़बूत करके जाने की आवश्यकता है।
 - इसके लिये कानून को मज़बूत बनाकर, प्रवर्तन तंत्र में सुधार करके और अवैध खनन गतिविधियों के लिये दंडों में कुछ सख्त बदलाव किया जा सकता है।
- **जाँच एवं निगरानी:**
 - सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन और GPS जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी एवं पता लगाने में मदद मिल सकती है।
- **हतिधारकों के बीच सहयोग:**
 - खनन कंपनियों को स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी गतिविधियाँ धारणीय हैं।
- **जागरूकता और शिक्षा:**
 - जागरूकता और शिक्षा अभियान पर्यावरण एवं समाज पर अवैध खनन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद कर सकते हैं। यह लोगों को अवैध खनन गतिविधियों की सूचना अधिकारियों को देने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
- **धारणीय खनन अभ्यास:**
 - धारणीय खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने से अवैध खनन की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है।
 - इसमें खनन कंपनियों को ज़िम्मेदार खनन साधन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक ज़िम्मेदारी जैसी टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना शामिल है।

खनन से संबंधित सरकारी पहलें:

- **राष्ट्रीय खनन नीति 2019:** इसका उद्देश्य खनन अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाना, धारणीय खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं नियामक प्रक्रियाओं को कारगर बनाना है।
- **प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY):** यह खनन प्रभावित क्षेत्रों और सागरमाला परियोजना हेतु एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र के विकास का समर्थन करने हेतु बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।

नक्षिण:

- अवैध खनन के मुद्दे को उजागर करने हेतु बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कानूनी और नियामक ढाँचे को मज़बूत करना, जाँच एवं निगरानी में सुधार करना, धारणीय खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा जागरूकता व शिक्षा अभियान शुरू करना शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. गॉडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देता है। चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2021)

प्रश्न. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन के विकास के लिये अभी भी अपरहार्य है"। चर्चा कीजिये। (मुख्य

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/issues-related-to-illegal-mining-of-ores>

